रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 1987/आश्विन 24, 1909
No. 524] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 1987/ASAVINA 24, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1987

आदेश

का. आ. 924(अ) :— केन्द्रीय सरकार, औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी प्रत्येक औषधि विनिर्माणकारी यूनिट को जो किसी केन्द्रीय तकनीकी प्राधिकरण या राज्य उद्योग निदेशालय या किसी अन्य समुचित प्राधिकरण के साथ उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65)

के अधीन लघु यूनिट के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, उक्त आदेश के पैरा 9, 10, 11 और 22 (2) के प्रवर्तन से, जहां तक उनका संबंध उक्त आदेश की तीसरी अनुसूची के प्रवर्ग II में विनिर्दिष्ट सूत्रयोगों से है निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है :—

(1) यह एक स्वतन्त्र यूनिट/कंपनी है और ऐसे किसी अन्य उपक्रम की जिसे औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के उपबंधों से इस प्रकार छूट नहीं दी गई है, समनुषंगी नहीं है या किसी तरह उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं है ;

(2) सूत्रयोग संबंधित यूनिट/कंपनी द्वारा अपने निजी ब्रांड नाम में विपणित किए गए हैं और किसी अन्य कंपनी के ब्रांड नाम और/अथवा ट्रेड मार्क में विपणित नहीं किए गए हैं ;

(3) लघु यूनिट के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र की प्रति के साथ ऊपर (I) और II) शर्तों के अनुपालन में घोषणा, विद्यमान यूनिटों की दशा में इस अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर और नई यूनिटों की दशा में उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से 60 दिन के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

टिप्पणी :—किसी लघु यूनिट/कंपनी को उपरोक्त छूट उसके लघु यूनिट/कंपनी न रहने पर देय नहीं होगी ।

[सं. 4(8)/87-पी आई II]

आर. एस. माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

New Delhi, the 16th October, 1987

ORDER

S. O. 924 (E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 28 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby exempts every drug manufacturing unit registered as small scale unit with any Central Technical Authority or State Directorate of Industries or any other appropriate authority under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), from the operation of paragraphs 9, 10, 11 and 22 (2) of

the said Order, in so far as they relate to formulations specified in Category II of Third Schedule of the said Order, subject to the conditions that :—

(i) it is an independent unit|company and not a subsidiary of or owned or controlled in any manner by any other undertaking which is not so exempted from provisions of Drugs (Prices Control) Order, 1987 ,

(ii) the formulations are marketed by the concerned unit|company in their own brand names and not in the brand names of and|or trade marks belonging to any other company ;

(iii) a declaration complying with conditions (i) and (ii) above along-with a copy of the Registration Certificate as a small scale unit is submitted to the Government within 60 days from the date of this notification in case of existing units and 60 days from the date of commencement of production in the case of new units.

NOTE :—The above exemption to a small scale unit|company will no longer be admissible as soon as it ceases to be a small scale unit|company.

[No. 4 (8)|87-PI (II)]
R. S. MATHUR, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1987